समाहरणालय, दरभंगा
(जिला स्थापना शाखा)
-: आदेश :-

जिला स्क्रीनिंग समिति–सह–जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 18.10.2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार वित्त विभागीय अधिसूचना सं0–4685 वि0/02 दिनांक-25.06.2003 एवं अधिसूचना ज्ञापांक–6068 दिनांक–13.06.2013 के आलोक में बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003 के अधीन 12 वर्ष/24 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने एवं प्रतिकूल चारित्रिक अभ्युक्ति संसूचित नहीं रहने के फलस्वरूप निम्नलिखित कर्मी को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम में वर्णित तिथि से एवं वेतनमान में क्रमशः प्रथम/द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ देने का आदेश दिया जाता है। संबंधित कर्मी के वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम–22(1)(A)(1) के अधीन नियत किया जायेगा :–

क्र0	नाम एवं पदनाम	नियुक्ति की तिथि	प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की तिथि एवं वेतनमान	द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की तिथि एवं वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजकुमार साफी, कार्या0 परिचारी, अंचल बहादुरपुर	04.05.1996	04.05.2008 वेतनमान–2610–3540	—	-

संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अधीनस्थ कर्मियों को वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने से पहले यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित कर्मियों के विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं हो। साथ ही संबंधित कर्मी से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लेंगे कि किसी प्रकार की त्रुटि या भूल के कारण यदि अधिक राशि का भुगतान किया जाता है तो उक्त राशि संबंधित कर्मी से वसूलनीय होगी।

ह0/–
स्थापना उप समाहर्त्ता,
दरभंगा।

ज्ञापांक–02–53/13–14–1710 /स्था0, लहेरियासराय, दिनांक 09 वीं नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि :– संबंधित कर्मी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/उप कोषागार पदाधिकारी, बेनीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

स्थापना उप समाहर्त्ता,
दरभंगा।

PANKAJ